निर्णय बइजलास सुश्री अंजना सहरावत (आर.ए.एस.) उपखण्ड अधिकारी सांगोद जिला कोटा

प्रकरण संख्या : 229 / 2018 — तारीख दायरा 14.09.2018

उनवान

बलराम आयु 50 वर्ष पुत्र पूरणमल दत्तक पुत्र लक्ष्मीनारायण जाति धाकड निवासी ग्राम नाहरिया तहसील सांगोद जिला कोटा राजस्थान ।

बनाम

राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार सांगोद जिला कोटा राजस्थान । — प्रतिवादी

दावा बाबत धारा 88,89,209 राजस्थान काश्तकारी कानून 1955

उपस्थित :–

दिनॉक :– 18.11.2020

श्री मोहन लाल पोटर (वकील वादी)

श्री सरकार पैरोकार

––:: निर्णय ::––

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि वादीगण द्वारा एक वाद इस आशय का प्रस्तुत किया गया है कि वादी ग्राम नाहरिया तहसील सांगोद जिला कोटा का निवासी है, प्रार्थी के नेसर्गिक पिता पुरणमल व दत्तक पिता लक्ष्मीनारायण [illegible] के खाते एवम् कब्जे काश्त की आराजी माल ग्राम नाहरिया पटवार हल[illegible] जिला कोटा की खाता [illegible] 170 पुरानी 169 की खसरा नं.467 की 0.81 हैक्टर कुल कि[illegible] 1 की 0.81 हैक्टर अ[illegible]

Signature Not Verified
Digitally signed by Anjana Sharawat
Date: 2021.03.03 13:24:59 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
साँगोद जिला कोटा

वाद पत्र में वर्णित आराजी को प्रार्थी के नेसर्गिक पिता पुरणमल द्वारा वादी बलराम आयु 7 वर्ष नाबालिक का जरिये वली पिता खुद पुरणमल कोम धाकड सा मोजा नाहरिया तहसील सांगोद जिला कोटा के नाम से विक्रेता लटूर पुत्र गणेश जात गुसाई सा मोजा नाहरिया तहसील सांगोद जिला कोटा राजस्थान से जरिये विक्रय पत्र उप पंजीयक कार्यालय सांगोद से दिनांक18.2.1974 को खरीद की है जिसका बुक नं.1 जिल्द संख्या 13 पृष्ठ संख्या 71 व 72 पर बुक संख्या 33 पर इन्द्राज किया गया जिसका नामान्तरण प्रार्थी के पक्ष में दर्ज किया, नामान्तण 771 दिनांक 23.5.2018 वादी को नाबालिक के स्थान पर बालिग दर्ज किया गया ।

वादी को अपने नैंसर्गिक पिता द्वारा लक्ष्मीनारायण को गोद दे दिया था जिसका गोद नामा उपंजीयक सांगोद में रजिस्र्टड दिनांक 5 अगस्त 1992 बरोज बुधवार को गोद नामा मुकिरा केसर उम्र 78 वर्ष बेवा लक्ष्मीनारयण जाति नागर (धाकड़) ग्राम नाहरिया तहसील सांगोद जिला कोटा के द्वारा गोददाता नेर्सगिक पिता पूरणमल पुत्र पन्नालाल जाति धाकड निवासी नाहरिया तहसील सांगोद जिला कोटा द्वारा निष्पादित किया गया जिसका पंजीयन बुक नं. 4 लेख पत्र संख्या 12 पृष्ठ संख्या 307 दिनांक 5 अगस्त 1992 को पंजीयन किया गया, तब से प्रार्थी अपने दत्तक पिता की सम्पत्ति का मालिक हुआ है, इस प्रकार वादी को गोद जाने से पहले अपने नेसर्गिक पिता के द्वारा खरीद शुदा आराजी प्राप्त होने से आराजी का वादी को मलिकाना हक प्राप्त है।

वादी को अपने परिवार को रूपयों की आवश्यकता होने से वादी कृषि ऋण लेने के लिए बैंक में गया तो बैंक के शाखा प्रबन्धक द्वारा नाबालिक से बालिक दर्ज करवाने की बात कही गई। इस पर पटवारी हलका से अपना नाम नाबालिक से बालिक करवाया, दर्ज करवाने के उपरान्त बैंक शाखा सांगोद मे कृषि ऋण लेने गया तो उन्होने खाते में नैंसर्गिक पिता का नाम बताया और आधार कार्ड में दत्तक पिता का नाम बताया इस पर बैंक द्वारा ऋण देने में असर्मथता जताई गई। इस उपरान्त वादी पटवारी हलका के पास अपने नेसर्गिक पिता के साथ दत्तक पिता का नाम साथ में जुडवाने गया तो पटवारी हलका द्वारा गलती होना स्वीकार किया लेकिन नाम जोडने में असर्मर्थता जताई और वादी से कहा अदालत के आदेश [illegible] के दत्तक पिता का नाम खाते में जोड दिया जावेगा और वादी के पास वाद [illegible] कोई उपाय नहीं होन से यह वाद पेश किया गया है। इस वाद में केवल अपने नेसर्गिक पिता पुरणमल के साथ दत्तक पिता लक्ष्मीनारायण का नाम जुडवाना चाहता यही इस वाद की विषय वस्तु है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Anjana Sharawat
Date: 2021.03.03 13:24:59 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
साँगोद जिला कोटा

प्रतिवादी राजस्थान सरकार होने से धारा 80 सी.पी.सी. की पालना में दो माह का नोटिस देना आवश्यक है परन्तु वादी को ऋण की आवश्यकता होने से 80 सी.पी.सी. के नोटिस के बिना ही वाद पत्र पेश किया जाना आवश्यक हुआ है, प्रार्थना पत्र अलग से पेश किया जा रहा है। वाद कारण दिनांक 5/9/2018 को पटवारी हलका नाहरिया के पास जाने और उसके द्वारा वादी का सहयोग नहीं किया जाने और पटवारी हलका द्वारा सहयोग नहीं करने पर उत्पन्न हुआ।

अतः वाद पत्र माननीय न्यायालय में प्रस्तुत कर निवेदन है कि वादी के पक्ष में व प्रतिवादी के विरूद्व निम्न आशय की घोषणा कर डिक्री सादिर पारित फरमाई जावे कि :–

माल ग्राम नाहरिया पटवार हलका नाहरिया तहसील सांगोद जिला कोटा की खाता नई 170 पुरानी 169 की खसरा नं.467 की 0.81 हैक्टर कुल किता 1 की 0.81 हैक्टर आराजी में वादी बलराम पुत्र पुरणमल जाति धाकड निवासी नाहरिया तहसील सांगोद जिला कोटा के स्थान पर नैसर्गिक पिता पुरणमल के साथ दत्तक पिता लक्ष्मीनारायण नाम दर्ज करने की कृपा करें अर्थात खाते में बलराम पुत्र पूरणमल दत्तक पुत्र लक्ष्मीनारायण जाति धाकड निवासी ग्राम नाहरिया तहसील सांगोद जिला कोटा राजस्थान करने की कृपा करें।

उक्त आशय का वाद पेश होने पर वाद को दर्ज कर प्रतिवादी की तलबी की गई। उक्त प्रकरण मे प्रतिवादी को सूचना हो चुकी है। जवाब सरकार प्राप्त हुआ, जिसमें वादी के वाद को स्वीकार करने पर कोई आपत्ति व्यक्त नहीं की है। वकील वादी ने वाद पत्र में वर्णित कथनो को दौहराते हुए संलग्न दस्तावेजात के आधार पर वाद को डिक्री किये जाने की प्रार्थना की।

पत्रावली के अवलोकन से मैनें यह पाया कि पत्रावली मे जो दस्तावेज, आधार कार्ड, मतदाता पहचान पत्र, दत्तक गृहण का दस्तावेज आदि उपलब्ध है उससे यह प्रतीत होता है वादी का वाद स्वीकार किये जाने योग्य है, जो कि स्वीकार किया जाकर अंतिम रूपसे डिक्री किया जाता है।

वादी का वाद स्वीकार किया जाकर आदेश दिया जाता है कि :–

माल ग्राम नाहरिया पटवार हलका नाहरिया तहसील सांगोद जिला कोटा की खाता नई 170 पुरानी 169 की खसरा नं.467 की 0.81 हैक्टर कुल किता 1 की 0.81 हैक्टर आराजी में वादी बलराम पुत्र पूरणमल जाति धाकड निवासी नाहरिया तहसील सांगोद जिला कोटा में नैसर्गिक पिता पूरणमल के स्थान पर दत्तक पिता लक्ष्मीनारायण का नाम दर्ज करने के आदेश दिये जाते हैं

Signature Not Verified
Digitally signed by Anjana Sharawat
Date: 2021.03.03 13:24:59 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी

अर्थात खाते में बलराम पुत्र लक्ष्मीनारायण जाति धाकड निवासी ग्राम नाहरिया तहसील सांगोद जिला कोटा राजस्थान करने के आदेश दिये जाते हैं। उक्त घोषणा के अनुक्रम में इन्द्राज दुरस्त कर खाते में अमल दरामद किया जावें। वाद व्यय वादी स्वयं वहन करें। नियमानुसार डिक्री पर्चा पृथक से जारी हो।

उपखण्ड अधिकारी
(अंजना सहरावत)
साँगोद जिला कोटा
उपखण्ड अधिकारी

सॉगोद

Signature Not Verified

निर्णय आज दिनॉक 18.11.2020 मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Digitally signed by Anjana Sharawat
Date: 2021.03.03 13:24:59 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
(अंजना सहरावत)
साँगोद जिला कोटा
उपखण्ड अधिकारी

सॉगोद